"क" केन्द्रीय सेवाओं का संवर्ग पुनर्विलोकन प्रत्येक तीन वर्ष के बाद करने का प्रावधान है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ) इस संबंध में मुख्य कठिनाईयां हैं :—

(1) अन्य समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं से भिन्न भारतीय सांख्यिकीय सेवा में संवर्ग पद किसी एक अकेले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं हैं।

(2) वर्ष 1986 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में सेवा के ग्रेड चार में संस्वीकृत कर्मचारी संख्या के अतिरिक्त व्यक्तियों की बड़ी संख्या में भर्ती तथा

(3) लम्बित न्यायालय मामले तथा रोक आदेश जिनका संवर्ग संरचना पर प्रभाव है ।

समस्याएं ऐसी हैं कि संवर्ग पुनर्विलोकन तत्काल आरम्भ करना कठिन है । तथापि, सरकार भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार से ग्रेड तीन पदों के ग्रेड बढ़ाने संबंधी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के रोक संबंधी आदेश के खाली हो जाने पर इसके पश्चात् 9 महीनों के अन्दर पुनर्विलोकन करने का यत्न करेगी । इस बीच, सरकार ने नए पदों को संवर्ग में शामिल करने तथा पदों की कोटि बढ़ाने जैसे हाल के उपायों द्वारा सेवा की प्रत्याशाओं में सुधार के लिए कार्रवाई की है ।

पब्लिक स्कूलों पर सरकारी नियंत्रण

37. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली के पब्लिक स्कूलों के संचालन पर कोई नियंत्रण है; यदि हां, तो कितना ; और

(ख) क्या दिल्ली के पब्लिक स्कूलों के प्रबंधक मासिक फ़ीस में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक एक या दो वर्ष के उपरान्त सरकार से अनुमति लेते हैं ; यदि हां, तो सरकार किस आधार पर उन्हें ऐसा करने की अनुमति देती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) विवरण संलग्न है (नीचे दिया गया है)

(ख) दिल्ली में पब्लिक स्कूलों के प्रबंधक मासिक फ़ीस बढ़ाने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करते हैं, यदि इसे शैक्षिक सत्र के दौरान बढ़ाना जरूरी हो। तथापि, प्रबन्धक शैक्षिक सत्र के आरम्भ में इस प्रकार की फ़ीस बढ़ाने के लिए स्वयं सक्षम हैं । साधारणतया इस प्रकार की फ़ीस का कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की अदायगी के लिए वित्तीय अपेक्षाओं के आधार पर बढ़ाया जाना अथवा प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत अन्य ग्राह्य खर्चे के लिए अनुमत्य होगा ।

विवरण

संघ शासित प्रदेश दिल्ली में स्कूली शिक्षा, अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा नियंत्रित की जाती है । गैर-सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों के संबंध में दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन के अधिकार निम्नलिखित हैं :—

(क) खण्ड 3(2) के अन्तर्गत, प्रशासक किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण को किसी भी स्कूल की स्थापना या रखरखाव के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है बशर्ते कि अधिनियम तथा नियमों का पालन किया जाये।

(ख) खण्ड 4 के अन्तर्गत उचित प्राधिकरण किसी प्राइवेट स्कूल को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र पर विचार कर सकता है । मान्यता प्रदान

करने के लिए महत्वपूर्ण अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं :--

(1) आर्थिक व्यवहार्यता ;

(2) प्रबन्ध सम्बन्धी योजना;

(3) पर्याप्त आवास की उपलब्धता ;

(4) निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक ;

(5) शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिए सुविधाएं।

(ग) खण्ड 5 के अन्तर्गत, उचित प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन सहित मान्यता प्राप्त स्कूल की प्रबन्ध समिति अधिनियम व नियमों के अनुकूल प्रबन्ध योजना तैयार करती है । तथापि, अल्पसंख्यकों के स्कूलों के लिए सक्षम प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं है ।

(घ)(1) खण्ड 8 के अन्तर्गत, प्रशासक को भर्ती के लिए योग्यताओं तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने का अधिकार है । खण्ड 10 (1) के अन्तर्गत, प्राइवेट स्कूल के किसी कर्मचारी का वेतन, पेंशन इत्यादि सरकारी शिक्षकों से कम नहीं हो सकता है ।

(2) खंड 8(2) के अन्तर्गत, निदेशक की पूर्व अनुमति को छोड़कर किसी भी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल के कर्मचारी को बर्खास्त, हटाया या पद श्रेणी में छोटा नहीं किया जा सकता है । उपखंड (4) के अंतर्गत निलम्बन के लिए निदेशक का अनुमोदन अनिवार्य है ।

(ङ) खंड 9 के अन्तर्गत, दिल्ली प्रशासन प्राइवेट स्कूलों में सभी कर्मचारियों के लिए आचार-संहिता निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है ।

(च) खंड 11(1) के अन्तर्गत, प्रशासक प्राइवेट विद्यालयों के कर्मचारियों की अधिनियम के अधीन दायर की गयी अपीलों को निपटाने के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने के लिए प्राधिकृत है ।

(छ) खंड 10 के अंतर्गत, दिल्ली प्रशासन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश को नियमित करने के लिए नियमों को बनाने के लिए प्राधिकृत है । नियम 145 मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश विनियमित करता है । इसमें यह जरूरी होता है कि दाखिला प्रवेश परीक्षा पर आधारित हो अथवा किसी विशेष कक्षा या स्कूल के परीक्षा-फल पर आधारित होना चाहिये ।

(ज) खंड 17(3) में यह अपेक्षित है कि प्रत्येक मान्यता-प्राप्त विद्यालय के प्रबंधक को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पूर्व निदेशक के पास स्कूल द्वारा लगाये गये शुल्कों का विवरण प्रस्तुत करना चाहिये और बिना निदेशक के पूर्व अनुमोदन के ऐसा कोई भी स्कूल विवरण में निर्दिष्ट शुल्कों से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकता है ।

(झ) खंड 18(3) में अपेक्षित है कि प्रत्येक मान्यता-प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूल एक स्कूल कोष रखे जिसमें सभी आय जमा की जाये और अनुमानतः खर्च इसी कोष से किए जाएंगे । खंड 18(5) में यह अपेक्षित है कि प्रत्येक वर्ष विद्यालय को निदेशक के समक्ष लेखा-परीक्षित वित्तीय और अन्य विवरणिकाएं जैसा निर्धारित किया गया हो, प्रस्तुत करनी चाहिए ।

(ञ) खंड 19(1) में यह अपेक्षित है कि लोक परीक्षा के लिए प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय को ऐसी परीक्षाएं संचालित करने वाले एक या एक से अधिक बोर्डों के साथ सम्बद्ध होना चाहिये ।

(ट) खंड 20 में यह अपेक्षित है कि जहां स्कूल अधिनियम या नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्य के निष्पादन की उपेक्षा करता है, प्रबंध को 3 वर्षों के लिए अपने अधिकार में लिया जा सकता है जिसे 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है । फिर भी खंड 21 में यह प्रावधान है कि अल्पसंख्यक स्कूल को अपने अधिकार में नहीं लिया जा सकता ।

(ठ) खंड 24(1) दिल्ली प्रशासन को प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय को वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(ड) खंड 27 यह निर्दिष्ट करता है कि यदि मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय का प्रबंधक न्यायाधिकरण के आदेशों को नहीं मानता है या खंड 20 के अन्तर्गत जब प्रबंध को अपने अधिकार में ले लिया जाता है और वह प्रशासक को सम्पत्ति नहीं देता है, तो उसे 3 महीने की कैद या उस पर 1000 रु. का दण्ड या दोनों लगाये जा सकते हैं।

Centralisation of admission process in Delhi University

38. SHRI KAPIL VERMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state·

(a) whether any demand has been made for centralisation of admission process by the Delhi University to remove malpractices and corruption in admissions; and

(b) if so, what is Government's reaction in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) and (b) According to the information furnished by the University of Delhi, various Students' Organisations have made different suggestions regarding admission problems. One of these relates to centralised admissions. The University plans to hold discussions in various fora with a view to further streamlining its admission procedures Whenever complaints regarding admissions are received, Government draws the attention of the University and requests it to take appropriate corrective action.

Encroachment of protected monument by DDA and MCD in Haus Khas, Delhi

39. SHRI ISH DUTT YADAV:

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the blatant encroachments taking place around the protected monument of Haus Khas causing irreparable damage to the monument due to the building activities of DDA, Municipal Corporation and private builders in violation of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 1958; and

(b) if so, what action has been taken/proposed to be taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) and (b) The Government is aware of the construction activities at Haus Khas in the vicinity of the monument affecting its environs and monuments itself. In respect of the construction falling within the protected limits of monument action has been initiated to deal with violation of the statutory provisions of the Ancient Monuments Archaeological Sites and Remains Act 1958. Possibility of acquiring land and buildings in the area around the Hauz Khas complex are being explored for the removal of encroachment and the Delhi Administration has been requested to issue instructions to the Municipal and other authorities not to permit construction of new buildings or enlargement/addition in the existing building in the vicinity of the monument-complex without consulting the Archaeological Survey of India.